अनुदान संख्या 68 – समुद्रपार भारतीय मामले मंत्रालय
GRANT No. 68–MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

			Total grant	Actual expenditure	Excess+ Saving–
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	55,00,00	56,40,00	43,99,92	–12,40,08
पूरक	Supplementary	1,40,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				12,40,00
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–		10,00,00	54,83	–9,45,17
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				9,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (1240.08 लाख रु.) अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 140.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 22 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.1240.08 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.140.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and constituted 22 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Secretariat - General Services				
मू.	O.	1600.00	1678.00	1746.31	+68.31
पू.	S.	139.00			
पु.	R.	–61.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2061" विदेश मामले	Major Head "2061" External Affairs				
मू.	O.	3900.00			
पू.	S.	1.00	2722.00	2653.61	–68.39
पु.	R.	–1179.00			

(I) मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय - समुद्रपार भारतीय मामले मंत्रालय" के अंतर्गत 1570.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 138.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1708.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 287.76 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) उत्प्रवासी महासंरक्षक कार्यालय के लिए निधियों का पुनर्विनियोग नए शीर्षों को किए जाने के कारण हुई जिसके लिए प्रावधान इस शीर्ष में शामिल किया गया था।

(I) Under Major Head "2052" – "Secretariat – Ministry of Overseas Indian Affairs" – the original provision of Rs.1570.00 lakhs was augmented to Rs.1708.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.138.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.287.76 lakhs (including supplementary grant) - due to re-appropriation of funds to new heads for the office of the Protector General of Emigrants for which provision was included in this head.

(II) मुख्य शीर्ष "2061" - "अन्य व्यय - अन्य स्कीमें" के अंतर्गत 1235.80 लाख रु. की बचत (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 3176.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई स्कीमें शुरू किए जाने में विलंब होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2061" – "Other Expenditure – Other Schemes" – saving of Rs.1235.80 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.3176.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to delay in taking off of new schemes.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (405.83 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय - उत्प्रवासी महासंरक्षक" के अंतर्गत 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 300.22 लाख रु. था।

2. The above savings were partly (Rs.405.83 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh under Major Head "2052" – "Secretariat – Protector General of Emigrants". Actual excess, however, was Rs.300.22 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	1000.00	100.00	54.83	–45.17
पु.	R.	–900.00			

(I) "अन्य भवन - निर्माण" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "प्रवासी भारतीय केंद्र" - 799.75 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बढ़े हुए फर्श क्षेत्रफल अनुपात और ड्राइंगों का अनुमोदन प्राप्त किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(खा) "पीजीई/पीओई के लिए भवनों का निर्माण/खरीद" - 145.42 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य का निष्पादन न किए जाने के कारण हुई।

(I) Under "Other Buildings – Construction" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Pravasi Bhartiya Kendra" – saving of Rs.799.75 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs) was due to delay in receipt of approval of the enhanced floor area ratio and drawings.

(B) "Construction/Purchase of Buildings for PGE/POEs" – saving of Rs.145.42 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to non-execution of work by the Central Public Works Department.